भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 378

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव

378. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र समूह और परिवार लगातार यह आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आत्महत्या के मूल कारण संरचनात्मक और सूक्ष्म जाति-आधारित भेदभाव और परिसरों में विलगाव हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इन प्रमुख संस्थानों में विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने आईआईटी और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट दी है कि जाति-आधारित भेदभाव के आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आते रहते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्तमान में देश में इकतीस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और एक भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 (2007 का 29) द्वारा शासित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं। संस्थानों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, व्यक्तिगत कारण/पारिवारिक मुद्दे/स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे/ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण धन की हानि/शैक्षणिक विषय में असफलता/गेमिंग आदि ऐसी घटनाओं के कुछ सामान्य कारण हैं।

सभी संस्थान छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सक्रिय कल्याणकारी उपाय करते हैं और समय-समय पर छात्रों की काउंसलिंग के लिए काउंसलर/मनोवैज्ञानिक/डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। छात्रों की समस्याओं को देखने के लिए संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, संस्थान के संकाय/वार्डन/मेंटर भी छात्रों को अकादमिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक जैसी विभिन्न समस्याओं से निपटने में सक्रिय रूप से मदद करते हैं। ये संस्थान छात्र समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नियमित परामर्श सत्र आयोजित करते हैं और शिकायतों/सुझावों के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा, छात्रों के बीच स्वस्थ वातावरण तैयार करने के लिए समय-समय पर प्रेरक व्याख्यान/वार्ता, ध्यान और योग सत्र, खेल बैठक, सांस्कृतिक बैठक आयोजित किए जाते हैं।

एनआईटीएसईआर की परिषद ने संस्थानों को छात्रों की समस्याओं को सक्रिय रूप से सुलझाने और परिसरों में उनके प्रवास के दौरान भावनात्मक कल्याण का ध्यान रखने के लिए संगठित होकर काम करने की भी सलाह दी है और उन्हें आनंदित, सकारात्मक बने रहने और उन्हें बेहतर विजन रखने के लिए सशक्त बनाने में मदद की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव की रोकथाम करने के लिए सार्विधिक प्रावधानों और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 अधिसूचित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भेदभाव से संबंधित शिकायतों को दूर करने हेतु एक तंत्र बनाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न निर्देश/अनुदेश और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें समान अवसर प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिकायत निवारण समितियां और विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों और कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए नामित किए गए जनसंपर्क अधिकारी शामिल हैं।

*****